

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या  
12/40/2018

प्रवेश तिथि  
11-05-2018

निर्णय दिनांक  
04-12-2019

01- प्रभाती पुत्र श्री छोटक्या जाति अहीर निवासी काली पहाड़ी तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0।

-अपीलांत

बनाम

01- तहसीलदार मालाखेड़ा, जिला अलवर

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार मालाखेड़ा दिनांक  
09.04.2018 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम  
प्रकरण संख्या 138/2018

उपस्थित:-

01-श्री निर्मल जांगिड़

-वकील अपीलाण्ट

-:निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 09.04.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम कालीपहाड़ी की सरकारी गै0मु0पहाड़ भूमि के आराजी खसरा नम्बर 34/1.02 है0 में से 672 वर्गमीटर एवं 630 वर्गमीटर पर अवैध कब्जा करने पर की बेदखली व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों0 को जर्गे सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम कालीपहाड़ी की सरकारी गै0मु0पहाड़ भूमि के आराजी खसरा नम्बर 34/1.02 है0 में से 672 वर्गमीटर एवं 630 वर्गमीटर पर अवैध कब्जा करने की पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 24.02.2018 को अपीलांत को अतिक्रमी मानकर बिना सुने बेदखली व लगान से दण्डित किया। अतः अपीलार्थी को बेदखली व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। रिपोर्ट तहसीलदार मालाखेड़ा द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 01.04.2019 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण होना बताया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय छपे-छपाये साइक्लोस्टाईल प्रफॉर्मा पर केवल रिक्त स्थान पूर्ति कर जारी किया गया है। निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत द्वारा पेश किये गये जवाब के बारे में कोई तथ्य अंकित नहीं किये गये है। अपीलांत को सुनवाई का अवसर दिये बगैर निर्णय पारित किया गया है। अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर तहसील मालाखेड़ा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांत को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।



निर्णय आज दिनांक 04-12-2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राजस्थान)